शा0स0 570/9–आर–1–2001 भूकंपरोधी/2001 (आ0ब0) दिनांक 3फरवरी,2001 में उल्लिखित मानचित्र स्वीकृति की शर्तें –

1. किया जाने वाला निर्माण तुसगत भारतीय मानक संस्थान एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधान के अनुरूप अर्ह स्ट्रक्चरल इंजीनियर एवं वास्तुविद द्वारा प्रमाणित डिजाइन के अनुसार ही होगा।
2. निर्माण का सुपरवीजन भी अर्ह वास्तुविद की देखरेख तथा उसके उत्तरदायित्व के अधीन किया जाएगा ताकि सुरक्षा की अपेक्षित व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित रहे।
3. निर्माण पूर्ण होने पर पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना भवन अथवा उसके अंश का कोई उपयोग नहीं किया जाएगा न करने दिया जाएगा।

शासनादेश सं0–772/ 9–आ–1–भूकंपरोधी/2001 (दिनांक 13.2.2001 में उल्लिखित मानचित्र स्वीकृति की शर्तें–

1. भवन निर्माण के पर्यवेक्षण हेतु एक स्नातक सिविल अभियंता जिन्हें भवन निर्माण के कार्यों के पर्यवेक्षण में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, आबद्ध किया जाएगा। पर्यवेक्षण में यह विशेष रूप से सुनिश्चित करेगा कि भवन निर्माण हेतु स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा संरचनात्मक सुरक्षा एवं भूकंपरोधी समस्त व्यवस्थाएँ करने के लिए जो डिजाइन अनुमोदित की गई है उसके अनुरूप ही भवन निर्माण किया जा रहा है।
2. भवन निर्माण में जो मुख्य निर्माण सामग्रियाँ, स्टील, स्टोनब्रिट, ईंट कोर्स सैंड एवं मार्टर तथा कंक्रीट मिक्स इत्यादि जो उपयोग में लायी जाएगी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कार्यस्थल पर ही उसके परीक्षण करने की सुविधा उपलब्ध रहनी आवश्यक है । इसके साथ ही निर्माण सामग्रियों की नियमित नैमयित्तिक परीक्षण करके उनकी गुणवत्ता का भौतिक व रसायनिक परीक्षण अधिकृत प्रयोगशाला/ संस्थाओं से कराकर उनके परीक्षण परिणाम कार्यस्थल पर ही उपलब्ध रहे ताकि जब भी कोई विशेषज्ञ स्थल पर कार्यों का निरीक्षण करने के लिए आए तो इन परीक्षण परिणामों को भी देख सके।
3. निर्माण कार्य का आकस्मिक तकनीकी निरीक्षण एक स्वतंत्र एक्सपर्ट द्वारा भी कराया जाएगा। क्रेता/ आवंटियों द्वारा नियुक्त एक्सपर्ट द्वारा भी समय समय निर्माण कार्य का निरीक्षण किया जा सकेगा। इस संबंध में समय समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
4. यदि स्वीकृति की किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता अथवा निरीक्षणकर्ता तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होगी तो आगे का निर्माण कार्य रुकवाते हुए निर्माण कार्य को अनाधिकृत मानते हुए सील भी किया जा सकेगा। ऐसे में न केवल पूर्णता प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा बल्कि निर्माणकर्ता व उनके सहायक किसी भी प्रकार की शिथिलता की परिधि में माने जाएँगे और तदनुसार कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।
5. कार्यस्थल पर प्रमुख स्थान पर 4 फुट X 3 फुट आकार का एक बोर्ड लगाना होगा जिस पर भवन निर्माणकर्ता एवं स्वामियों का नाम आर्कीटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजनियर सर्विस डिजाइन इंजीनियर एवं सुपरवीजन इंजीनियर का नाम इस प्रकार उल्लिखित होगा कि भवन से लगे मुख्य मार्ग से ही उसे स्पष्ट पढ़ा जा सके । निर्माण कार्य से संबंधित कार्यस्थल पर निम्न अभिलेख भी उपलब्ध रहेंगे।

(क) नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र की हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त प्रति।
(ख) अनुमोदित प्रयोगशाला/ संस्थान द्वारा की गई मृदा परीक्षण की पूर्ण रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नींव के प्राविधान संबंधी संस्तुतियाँ।
(ग) अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त, नींव, सुपर स्ट्रक्चरल की गणनाएँ। एवं भवन को भूकंपरोधी बनाने हेतु संरचनात्मक सरचा से संबंधा समस्त मानचित्र एवं स्ट्रक्चरल डिटेल।
(घ) अधिकृत आर्कीटेक्ट द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त समस्त वर्किंग ड्राइंग जिनमें सेक्शन एवं एलिवेशन तथा सर्विसेज डिटेल इत्यादि शामिल रहेंगे।
(ण) भवन निर्माण हेतु आवश्यक समस्त टीएण्ड पी0 का विवरण ।
(छ) साइट इंजीनियर इंस्पेक्शन रिपोर्ट एवं संबंधित रजिस्टर।
(ज) सामग्री परीक्षण रिपोर्ट एवं संबंधित रजिस्टर।

शासनादेश सं0 375/9–आर–1भूकंपरोधी/2001 आवास अनुभाग–1 दिनांक 20.7.2001 में भूकंपरोधी व्यवस्था करने हेतु स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स तथा निदेशक निरीक्षण सिविल इंजीनियर्स की निर्धारित अर्हता के अनुसार ही समस्त कार्य किए जाएँगे।

मानचित्र इस उपबंध सहित स्वीकृत किया जाता है कि निम्नत पूर्ण होने पर पुनः संगत इमारत में की गई अग्निशमन व्यवस्थानाओं को संतोषप्रद पाए जाने के उपरांत परिषद द्वारा पूर्णतः प्रमाणपत्र जारी किए जाने पर ही मानचित्र पर अनुमोदन को अंकित माना जाएगा।

(ह0 अ0 ...)
सचिव
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ

परिशिष्ट–8
(पृष्ठ–1/2)

## BUILDING INFORMATION SCHEDULE
(उपविधि संख्या–13.2)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **Building Address** | Plot No. | Scheme/Colony | Town | District |
| 2. | **Building function & Locations** | | | | |
| 2.1 | **Use** | Institutional | ✓Commercial | Industrial | * |
| 2.2 | **Importance** | Ordinary | ✓Important | Hazardous | * IS:1893 |
| 2.3 | **Seismic Zone (Design Intensity Used** | V(IX) | IV(VIII) | ✓III(VII) | II(VI) IS:1893 |
| 3. | **Design EQ Factor** | α0=.1 | I=1 | β='5 | αh=.1 IS:1893 |
| 4. | **Foundation** | | | | |
| 4.1 | **Soil type at site (Note 2)** | Rock/stiff Medium # Soft | ✓ | Liquefiable | Expensive (B.C.) IS:1904 |
| 4.2 | **Type of Foundation** | Strip Indiv.Col. Fottings/Raft Bearing Piles | | Friction Piles | IS:1893 |

**5. Load Bearing Wall Buildings**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | **Building Category** | A(α h<.05) B(αh=.05 to .06) C(αh.06 to <.08) D(αh .08 to <0.12) E (αh >0.12) IS:4326 | | | |
| 5.2 | **Bearing Walls** | Brick | Stone | Solid Block | Hollow Block | Adobe |
| 5.3 | **Mortar (note 4)** | C : S=1: ... C:L:S =1 | | L:S=1: ... | Clay Mud | * |
| 5.4 | **Floors** | R.C.slabs | Stone slabs on joists | | Prefab flooring elements | * |
| 5.5 | **Roof structure** | Flat like floors/ pitched | | Trussed/ Raftered / A Frame/ Slopping | R.C. Slab | |
| 5.6 | **Roof covering** | CGI Sheeting | AC sheeting | Clay tiles/Slate | Wood shingle | * |
| 5.7 | **Opening in walls** | Control used on sizes ? | | Control used on location ? | Strengthening around ? | IS:4326 |
| | | Yes/No/NA | Yes/No/NA | Yes/No/NA | | IS:13828 |
| 5.8 | **Bands Provided** | Plinth Band | Lintel Band | Roof/Eave Band | Gable Band | Ridge Band -do- |
| 5.9 | **Vertical Bars** | At corners of rooms | | At jambs of openings | | -do- |
| 5.10 | **Stiffening of Prefab Floors/Roofs** | R.C. screed & Band | | Peripheral band and connectors | Diagonal planks and alround band | IS:4326 |

परिशि
(पृष्ठ–2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | **Steel / R.C. frame buildings** | | | | |
| 6.1 | **Building Shape** | Both axes near symmetrical | One axis near symmetrical / Unsymmetrical (Torsion conside | | |
| 6.2 | **Infills / partitions** | Out of plane stability check? Yes/ No | In Plane stiffness considered? Yes/ No | IS:1893,IS: | |
| 6.3 | **Ductile Detailing of RC Frames** | Beams ? ✓YES / NO | Columns ? ✓YES / NO | Beam column Joint ? ✓YES / NO | Sheer Walls? ✓YES / NO — IS:13920 |
| 6.4 | **Ductile Detailing of Steel Frames** | ✓Beams ? YES / NO | Columns ? ✓YES / NO | Beam Column Joint ? ✓YES / NO | SP6(6) |

**Notes:-**

1. Encircle the applicable Data point or insert information.
2. Stiff. N>30:Medium. N=10.3:Soft.N<10:Liquefiable,poorly graded Sands with N<15 under Water Table (see Note 5 of Table 1 in IS:1893) Where N=Standard Penetration (IS:2131-1981).
3. * Means any other, specify.
4. C= Cement, S= Sand, L= Lime

The above information is factually correct.

For SAS Global Private Ltd.
Director
Name (Block). Gunjit Kalra.....

**Signature of Owner with date**

**Signature of the Engineer who will Supervise the construction**
AADHAR
Name (Block).....(B.E.CIVIL) Addr
Legible Seal: 2027 VIJAY KHAND GOMTI NAGAR
(with address) LUCKNOW Mob-09335925127

**Signature of the Architect who had Supervised the construction**

Name (Block)...AGAM PRAKASH MISHRA
COA Registration No....CA/2001/27469
Legible Seal :
(with address)

नियम व शर्तें–

परिषद की वृन्दावन योजना, लखनऊ के सेक्टर 11 में स्थित भूखण्ड सं0 11/काम–105 हेतु निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 07/6/13 से 6/6/18 तक।
3. स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित सशोधनों सहित मान्य होगा।
4. यदि उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है। तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी से समयावृद्धि प्रमाण प्राप्त कर लिया जावे।
5. यह स्वीकृति प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल 9019.95 व0मी0 (बेसमेंन्ट+स्टिल्ट+10) तलों में से 2560.33 वर्ग मी0 (बेसमेंन्ट+स्टिल्ट फ्लोर ) तलों हेतु निर्माण क्षेत्रफल के लिए 3027.50 व0मी0 के भूखण्ड पर प्रदान की गयी है। बेसमेंन्ट फ्लोर एवं स्टिल्ट फ्लोर में पार्किंग प्रस्तावित होने के कारण उसका क्षेत्रफल एफ.ए.आर. में आंगणित नही किया गया है। अतः पार्किंग हेतु निर्धारित स्थान में निर्माण की सुनिश्चितता हेतु निर्माण की स्वीकृति केवल बेसमेंन्ट एवं उसके ऊपर एक तल हेतु प्रदान की जाती है।
6. बेसमेंन्ट एवं उसके ऊपर एक तल का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त (सम्बन्धित खण्ड से पुष्टि के पश्चात) शेष निर्माण 6519.62 वर्गमी0 की अनुवर्ती तलों पर स्वीकृति सक्षम स्तर से प्रदान की जा सकेगी। (स्वीकृत मानचित्र सलंग्न है।)
7. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–3 उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व 14 दिन पहले देनी होगी।
8. भवन के निर्माण के पश्चात तथा उपयोग से पूर्व स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, से पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराना होगा।
9. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके।
10. आवंटी द्वारा सलंग्न प्रारूप पर पूर्णतया प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा जिसके साथ अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति का प्रमाण पत्र भी सलंग्न करना होगा। समयावधि तत्पश्चात निर्माण कार्य यथानानक सही पाये जाने पर ही पूर्णतया प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
11. मैसर्स एस0ए0एस0 प्रा0लि0, द्वारा स्थल (सार्वजनिक)/मार्ग अथवा सरकारी भूमि का उपयोग भवन सामग्री आधार करने की दशा में यह मानचित्र अवमुक्त होने की तिथि से देय शुल्क तथा उस पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज(अर्द्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज) माग पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर परिषद खाते में एकमुश्त जमा करेगा।
12. कम से कम 200 व0मी0 क्षेत्रफल पर एक पेड़ की दर से वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से करना होगा।
13. रेनवाटर हार्वेस्टिंग पद्धति को अनिवार्य रूप से करना होगा।
14. भूकम्परोधी शासनादेश सं0 570–9–आ–12001 (भूकम्परोधी /2001/(आ0ब0) दिनांक 3.2.2001 एवं सं0 3751/9–आ–भूकम्परोधी/2001 /(आ0ब0) दिनांक 20.7.2001 के अन्तर्गत शर्तें, सेट के एक मानचित्र के पृष्ट भागों पर चस्पा की गयी है। जिनका अनुसरण करना होगा।
15. आवंटी द्वारा भारतीय विमान पत्तनन् का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेक्षित नही किया गया है, जिसके सम्बंध में आवंटी को निर्देशित करते हुए मानचित्र इस प्रतिबंध के साथ स्वीकृत किया जाता है, कि युप हाउसिंग भूखण्ड पर प्रस्तावित निर्माण 15.00 मी0 तक किया जा सकता है, अथवा छः महीने के अन्दर उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही 15.00 मी0 से अधिक ऊँचाई का निर्माण किया जा सकेगा।
16. समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश मान्य होंगे।
17. मानचित्र का परीक्षण नेशनल बिल्डिंग कोड के मात्र [STRUCTURAL] प्राविधानों के अन्तर्गत करते हुए ही अनुज्ञा निर्गत की जा रही है तथा अग्निशमन/सुरक्षा सम्बंधी अन्य समस्त प्राविधानों को स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चत कराया जायेगा।
18. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–3 के द्वारा यह सुनिश्चत किया जायेगा कि प्रस्तगत भूखण्ड पर निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप स्थल पर किया जा रहा है।
19. अग्निशमन अधिकारी लखनऊ के पत्रांक अ–25/डी0डी0 (लखनऊ)13 दिनांक 19–3–2013 की शर्तों का अनुपालन स्थल पर किया जाना अनिवार्य है।

(ह0 अ0 ...)
सचिव
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ

परिशिष्ट–9

## CERTIFICATE
(उपविधि संख्या–13.2)

**(The certificate to be submitted with the application for building permission along with the building drawings and Building Information Schedule).**

1. Certified that the building plans submitted for approval also satisfy the safety requirements as stipulated in the Indian Standard, Codes, guidelines and documents specified in the Annexure-I of the Building Bye-Laws regarding earthquake safety awareness and the information given in the attached Building Information Schedule, is factually correct to the best of my knowledge and understanding.
2. It is also certified that the structural design including safety from natural hazards including Earth Quake has been prepared by duly qualified graduate Civil Engineer along with Post Graduate Diploma or Degree in Structural Engineering from a recognized University.
3. **Location/Address of Building**

Plot No.....11/Com.105(E).....
Scheme/Colony.Vrindavan Yojna
Town.....LUCKNOW.....
District.....LUCKNOW.....

4. **Particulars of Building**
   1. Ground Coverage (sq mt)
   2. Total covered area(sq mt)
   3. Maximum Numbers of Floors above ground.

For SAS Global Private Ltd.
Director
Name (Block). Gunjit Kalra.....
(Block).....
Address :
.....14, Station Road
.....LUCKNOW.....

**Signature of Owner with date**

**Signature of the Structural Engineer who had prepared the design with date**
Name AADHAR
ASHOK KUMAR GUPTA
(B.E. CIVIL)
Legible Seal: 2027 VIJAY KHAND GOMTI NAGAR LUCKNOW Mob-09335925127

**Signature of the Architect who had Prepared the design with date**

Name (Block)..AGAM PRAKASH MISHRA
COA Registration No.....CA/2001/27469
Legible Seal (with address)

परिशिष्ट–10

**(Certificate to be given in each building plan to be submitted for sanction)**
(उपविधि संख्या–13.2)

It is hereby certified that the structural and foundation design of the building for which map and plans are submited for approval satisfy the safety requirements as stipulated in the relevant India Standard Codes, National Building Code, guide lines and documents specified in Annexure-I Building Bye-Laws.

| Signature of Ower with date | Signature of the Structural Engineer who had prepared the Design with date | Signature of the Architect who had Prepared the design with date |
|---|---|---|
| For SAS Global Private Ltd. Director Gunjit Kalra | AADHAR ASHOK KUMAR GUPTA (B.E. CIVIL) 2027 VIJAY KHAND GOMTI NAGAR LUCKNOW Mob-09335925127 | |
| Name(Block)..... Address 14, Station Road, Lucknow | Name Block)..... Legible Seal: (With address) | Name (Block)..AGAM PRAKASH MISHRA COA Registration No....CA/2001/27469 Legible Sell(with address) |